P&A-303

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
कॉरपोरेट आईडेन्टिटी नम्बर (सी. आई. एन.)–U40102RJ2000SGC016484
पंजीकृत कार्यालय एवं मुख्यालयः विद्युत भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर–302005

क्रमांक :– रा.रा.वि.उ.नि/संस्थापन/प. 2 (3) /प्रे. 218 जयपुर, मई, 22 2018

परिपत्र

विभिन्न विद्युत गृहों/ परियोजनाओं में कार्यरत तकनीकी कामगार, विशेषतः वे जो अपने गृह जिले से दूर पदस्थापित हैं, अपने इच्छित विद्युत गृह/परियोजना पर स्थानान्तरण हेतु लगातार आग्रह कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, नवीन सुपर क्रिटिकल तापीय परियोजनाओं में अनुभवी तकनीकी कामगारों की कमी को भी दूर किया जाना है। उक्त परिपेक्ष में निदेशक मण्डल ने दिनांक 26 मार्च, 2018 को आयोजित 278 वीं बैठक में **"एकबारीय विशेष स्थानान्तरण योजना"** स्वीकृत की है।

उक्त "एकबारीय विशेष स्थानान्तरण योजना" के अंतर्गत सर्वप्रथम सभी विद्युत गृहों/परियोजनाओं पर वर्ष 2018–19 की रिक्तयों के विरुद्ध पदोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी तथा तत्पश्चात उन विद्युत गृहों/परियोजनाओं में तकनीकी कामगारों के रिक्त पदों को अन्य विद्युत गृहों/ परियोजनाओं पर समान ग्रेड पे/पे लेवल में कार्यरत तकनीकी कामगारों में से समकक्ष पद पर स्थायी रूप से स्थानान्तरण द्वारा भरा जावेगा। इस प्रकिया के उपरान्त रिक्त रहे पदों को भविष्य में उस विद्युत गृह/परियोजना में पदस्थापित तकनीकी कामगारों में से पदोन्नति की समान प्रक्रिया द्वारा भरा जावेगा। सीधी भर्ती आपरेटर–तृतीय/तकनीशियन–तृतीय/प्लांट अटेन्डेन्ट–तृतीय/हाईडल आपरेटर–तृतीय अथवा समकक्ष पदों की रिक्तियों को भरने हेतु की जावेगी।

उक्त "एकबारीय विशेष स्थानान्तरण योजना" हेतु निम्न दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावेगी :–.

(i) प्रत्येक विद्युत गृह/परियोजना पर वर्ष 2018–19 की रिक्तयों के विरुद्ध पदोन्नति की प्रक्रिया दिनांक **05.06.2018** तक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(ii) उक्त योजना का लाभ उठाने हेतु इच्छुक सभी कर्मचारियों को निर्धारित पत्र (**परिशिष्ट –'क'**) में अपने आवेदन पत्र, अपने नियंत्रण अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर करवाकर दिनांक **20.06.2018** तक संयुक्त निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन), राराविउनि, विद्युत भवन, जयपुर के कार्यालय में पहुँचाना सुनिश्चित करना होगा।

(iii) किसी एक विद्युत गृह/परियोजना में किसी 'एक पद विशेष' पर कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों की कुल संख्या का अधिकतम 25 प्रतिशत कर्मचारियों के प्रार्थना पत्रों को ही स्वीकार किया जावेगा।

(iv) प्राप्त प्रार्थना पत्रों में से योग्य एवं पात्र कर्मचारियों का चयन अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा गठित "स्क्रीनिंग कमेटी" द्वारा किया जावेगा।

(v) महिला एवं विकलांग कर्मचारियों (PWD) की प्रार्थना को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।

(vi) उक्त के पश्चात शेष रहे रिक्त पदों पर चयन का आधार किसी पद विशेष पर कार्य करने का अनुभव होगा अर्थात् ऐसा व्यक्ति जो वर्तमान पद, जो समान वेतन श्रृंखला में वर्गीकृत हो, पर अधिक सेवा अनुभव रखता है, को उससे कम अनुभवी व्यक्ति की अपेक्षा प्राथमिकता दी जावेगी।

(vii) पदस्थापन के पश्चात दो या दो से अधिक कर्मचारी एक ही विद्युत गृह/परियोजना से हैं तो उनकी पारस्परिक वरिष्ठता का निर्धारण उनके विद्युत गृह/परियोजना की अन्तिम वरिष्ठता सूची के क्रम में होगा। यदि कर्मचारी भिन्न –भिन्न विद्युत गृहों/परियोजनाओं से हैं तो ऐसे कर्मचारियों की पारस्परिक वरिष्ठता का निर्धारण उनके वर्तमान पद पर कुल सेवा अनुभव के आधार पर किया जावेगा, किन्तु उनकी समान पद पर पदोन्नति/नियुक्ति की दिनांक समान होगी तो ऐसे कर्मचारियों की पारस्परिक वरिष्ठता उनकी जन्म तिथि के आधार पर निर्धारित होगी अर्थात अधिक उम्र का व्यक्ति वरिष्ठता सूची में ऊपर रखा जावेगा।

(viii) उक्त प्रक्रिया के परिणामस्वरूप नवीन स्थान पर कार्य ग्रहण करने के पश्चात्, किसी भी कर्मचारी को अपने पूर्व के विद्युत गृह/परियोजना पर धारित पद, वरिष्ठता, इत्यादि के आधार पर कोई भी लाभ देय नहीं होगा।

(ix) यह ''एकबारीय विशेष स्थानान्तरण योजना'' विशेष परिस्थितियों में केवल एक बार के लिए ही लागू की जा रही है एवं भविष्य में कोई भी कर्मचारी इस योजना के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के लाभ हेतु दावा करने का अधिकारी नहीं होगा और न ही इस योजना के तहत एक बार लाभ ले चुके किसी भी व्यक्ति के, इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत स्थानान्तरण पर पुनः विचार करने की प्रार्थना को स्वीकार किया जावेगा।

(x) पूर्व में निगम के परिपत्र क्रमांक RVUN / P&A / F2 (3) 142 / D. 335 दिनांक 27.07.2011 (P&A -137) द्वारा छबड़ा तापीय विद्युत गृह एवं परिपत्र क्रमांक RVUN/Estt. /F4(30) /D.17 दिनांक 02.05.2012 (P&A -151) द्वारा झालावाड तापीय विद्युत गृह हेतु लागू की गई विशेष स्थानान्तरण योजनाओं के अन्तर्गत लाभ ले चुके तकनीकी कामगारों के आवेदन स्वीकार नही किये जावेंगे।

(xi) उक्त ''एकबारीय विशेष स्थानान्तरण योजना'' में पदस्थापन के पश्चात् लाभ उठाने वाले ऐसे किसी भी व्यक्ति का उसकी प्रार्थना पर अन्यत्र इच्छित विद्युत गृह/परियोजना पर स्थानान्तरण नहीं किया जावेगा।

अतः एतद्द्वारा ऐसे सभी तकनीकी कर्मचारियों से जो उक्त ''एकबारीय विशेष स्थानान्तरण योजना'' के तहत अन्य विद्युत गृह/ परियोजना में अपना स्थानान्तरण चाहते हैं, संलग्न प्रपत्र में आवेदन पत्र आंमत्रित किये जाते हैं। सभी इच्छुक कर्मचारी निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन भरकर अपने नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को दिनांक **20.06.2018** तक प्रेषित करें।

सभी सम्बन्धित अधिकारियों से अनुरोध है कि वे उनके अधीन कार्यरत समस्त तकनीकी कामगारों को उक्त विशेष योजना से अवगत करवायें और जो भी कामगार इस योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक हैं, से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्राप्त कर, उस आवेदन पत्र में दिये गये तथ्यों को कार्यालय अभिलेख से सत्यापित करके इस कार्यालय में दिनांक **20.06.2018** तक पहुँचाना सुनिश्चित करें जिससे कि उनके आवेदन पत्रों पर विचार किया जा सके।

आज्ञा से,

संलग्नः प्रार्थना पत्र का प्रारुप

22/5/2018.

(आलोक शर्मा)
संयुक्त निदेशक (का. एवं प्रशा.)

उपरोक्त परिपत्र की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उनके अधीन कार्यरत समस्त तकनीकी कामगारों के मध्य उक्त विशेष योजना का प्रचार व प्रसार करवाने हेतु प्रेषित हैः—

1. निदेशक (तकनीकी/परियोजनाएं/वित्त), राराविउनि, जयपुर।
2. मुख्य/अतिरिक्त/उप मुख्य अभियन्ता(, राराविउनि, जयपुर।
3. मुख्य लेखा नियंत्रक/मुख्य लेखाधिकारी(   ), राराविउनि,
4. संयुक्त निदेशक (कॉरपोरेट अफेयर्स. कम कम्पनी सचिव), राराविउनि, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक कार्मिक (के.टी.पी.एस.), राराविउनि, कोटा।
6. अधीक्षण अभियन्ता(   ), राराविउनि,
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी /लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी(   ), राराविउनि
8. उप निदेशक कार्मिक/ कार्मिक अधिकारी/ सहा. कार्मिक अधिकारी(   ), राराविउनि
9. सहा. सचिव (   ), राराविउनि
10. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, राराविउनि, जयपुर।
11. निजी सचिव—अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (राराविउनि), जयपुर।
12. सहायक अभियंता (वेबसाईट मॉनिटरिंग), राराविउनि, जयपुर को उक्त परिपत्र निगम की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. सूचना पट्ट

22/5/2018

(विशाल मल्होत्रा)
कार्मिक अधिकारी (संस्थापन—द्वितीय)

परिशिष्ट– 'क'

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

"एकबारीय विशेष स्थानान्तरण योजना"
(अंतिम तिथि–20.06.2018)

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के विभिन्न विद्युत गृहों/परियोजनाओं पर "एकबारीय विशेष स्थानान्तरण योजना" के तहत स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र

स्वहस्ताक्षरित फोटो

1. नाम : ——————————————
2. पिता/पति का नाम : ——————————————
3. जन्म तिथि : ——————————————
4. लिंग : ——————————————
5. विकलांगता (यदि हो तो) : ——————————————
6. वर्तमान पद : ———— ग्रेड पे./पे लेवल संख्या : ———
7. वर्तमान पदस्थापन कार्यालय : ——————————————
8. मण्डल/निगम में प्रारंभिक नियुक्ति तिथि एवं पद : ——————————————
9. शैक्षणिक योग्यता :

क्र. स.	शैक्षणिक योग्यता	उत्तीर्ण करने का वर्ष	बोर्ड/विश्वविद्यालय/ संस्थान का नाम
1	सैकण्डरी		
2	हायर सैकण्डरी		
3	स्नातक		
4	आई. टी. आई./एन.सी.वी.टी./ एस.सी.वी.टी.(————ट्रेड में)		
5	अन्य, यदि कोई हो		

10. पूर्व में धारित पदों का विवरणः–

क्र. स.	पद नाम	नियुक्ति/पदोन्नति आदेश संख्या व दिनांक	अवधि
1.			———से ———
2.			———से ———
3.			———से ———

11. विद्युत गृह/विद्युत परियोजना का नाम जिसके लिये स्थानान्तरण चाहा है वरीयता क्रम में लिखे :

1 .... 5...
2... 6...
3 .... 7...
4 .... 8 ....

मैं.. शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया उपर्युक्त विवरण सही है। मैं .... विद्युत गृह/ परियोजना में ———————— (पद का नाम) पद पर "एकबारीय विशेष स्थानान्तरण योजना" के तहत स्थानान्तरण हेतु स्वेच्छा से आवेदन कर रहा/ रही हूँ तथा वर्तमान कार्यालय, वहाँ की वरिष्ठता, आदि के आधार पर देय किसी भी प्रकार के लाभ, आदि का दावा भविष्य में कभी भी नहीं करूँगा/करुँगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

12. नियंत्रण अधिकारी द्वारा अग्रप्रेषण :–

मूल प्रार्थना–पत्र संयुक्त निदेशक (का. एवं प्रशा.), राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, विद्युत भवन, जयपुर को प्रेषित कर प्रमाणित किया जाता है कि :–

1. कर्मचारी द्वारा, अंकित जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता व अन्य सेवा विवरण उसके सेवा अभिलेखों से सत्यापित कर लिए गये हैं एवं सही हैं।
2. कर्मचारी पर कभी किसी भी विभागीय/आपराधिक जाँच में कोई सजा नहीं दी गई है। इसके अतिरिक्त उक्त कर्मचारी के विरूद्ध वर्तमान में न तो कोई विभागीय/आपराधिक जांच लम्बित है तथा न हीं वह निलम्बित है (यदि कोई सजा दी गई हो अथवा जाँच, आदि लम्बित हो तो पूर्ण विवरण अंकित करें)।

दिनांकः–

नियंत्रण अधिकारी के हस्ताक्षर मय मुहर